

an>

Title:Need to provide facilities to the people under BPL list in UP.

श्री भैरों प्रसाद मिश्र (बांदा) : महोदय, देश के करोड़ों लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं जिनको बीपीएल सूची के अनुसार ही गरीबों की योजनाओं का लाभ दिया जाता है। उत्तर प्रदेश में बीपीएल सूची 2001 में बनी थी। उसी से 15 साल बीत जाने के बाद भी गरीबों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। जबकि 2011 में नई जनगणना हो चुकी है और उस समय भी जनगणना के आधार पर नई बीपीएल सूची बनाई गई थी जिसे बने हुए लगभग पांच वर्षों में ही लागू हो चुके हैं लेकिन उसे अभी तक लागू नहीं किया गया है। यह एक बहुत बड़ी विसंगति है। इससे पूर्व में छोटे हुए लोगों को तथा इधर 15 वर्षों में गरीबी रेखा में आने वाले लाखों लोगों को गरीब आधारित केंद्र व राज्य सरकार की किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि राज्य सरकार से वार्ता कर यथाशीघ्र सूची वर्तमान जनसंख्या के आधार पर मंगाकर नई सूची के आधार पर गरीबों को उक्त योजनाओं का लाभ दिलाने हेतु निर्देशित करने की कृपा करें साथ ही गरीबी रेखा का मानक आर्थिक रूप से नए ढंग से परिभाषित करने की जरूरत है। मेरा आपके माध्यम से अनुरोध है कि राज्य सरकार से वार्ता करके यथाशीघ्र सूची मंगाकर जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2011 की सूची लागू की जाए और उसके आधार पर गरीबों को लाभ दिया जाए।